भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3244

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

पनबिजली परियोजनाओं पर भू-राजस्व उपकर

†3244. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना की जानकारी है जिसमें भाखड़ा, पोंग और ब्यास-सतलुज प्रणाली जैसी अंतर-राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं सहित जल विद्युत और बांध परियोजनाओं पर भू-राजस्व उपकर लगाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह चिंता व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उपकर मौजूदा समझौतों, सांविधिक व्यवस्थाओं और प्रशुल्क ढांचे के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने लाभार्थी राज्यों और उपभोक्तओं द्वारा देय विद्युत प्रशुल्क पर उपकर के संभावित प्रभाव की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले के समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों और हितधारक राज्यों के साथ परामर्श करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) ने दिनांक 01.12.2025 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व को जल विद्युत परियोजना के औसत बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से अधिसूचित किया है। परियोजना हेतु उपयोग की जा रही भूमि के अधिभोगी द्वारा, किसी भी इच्छुक हितधारक से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत, यह भू-राजस्व दिनांक 01.01.2026 से हिमाचल प्रदेश सरकार को देय होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 02.02.2026 और 03.02.2026 को, हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं के औसत बाजार मूल्य के संबंध में उपकर की वार्षिक दर अधिसूचित की। अधिसूचना में अन्य के अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) जैसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) : दिनांक 01.12.2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद, एसजेवीएन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इसके बाद, इन सीपीएसयू और बीबीएमबी ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश, शिमला के उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिकाएं भी दायर की हैं।

(ग) : विद्युत टैरिफ पर भू-राजस्व का संभावित प्रभाव संबंधित सीपीएसयू और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा आकलित किया गया है और इसका विवरण **अनुबंध** पर है।

(घ) : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित भू-राजस्व को पहले ही संबंधित सीपीएसयू और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3244

अनुबंध

विद्युत टैरिफ पर उपकर का संभावित प्रभाव

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन	सीपीएसयू/संगठन का नाम	उपकर का संभावित प्रभाव	
			हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व उपकर (करोड़ रुपये में)	टैरिफ पर प्रभाव (रुपये/ केडबल्यूएच)
1.	बैरास्यूल	एनएचपीसी	26.71	0.40
2.	चमेरा-I	एनएचपीसी	80.14	0.48
3.	चमेरा-II	एनएचपीसी	44.52	0.30
4.	चमेरा-III	एनएचपीसी	34.28	0.31
5.	पार्बती-III	एनएचपीसी	77.17	0.39
6.	पार्बती-II	एनएचपीसी	118.72	0.38
7.	नाथपा झाकरी एचपीएस	एसजेवीएन	222.60	0.39
8.	रामपुर	एसजेवीएन	61.14	0.38
9.	कोलडैम	एनटीपीसी	118.72	0.45
10.	पोंग पावर हाइड्रो, बीएसएल परियोजना और भाखड़ा बांध	बीबीएमबी	433.15	0.43

****